

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1961 / 2012 / श्रीगंगानगर.

मैसर्स बिहाणी सीड्स, श्रीगंगानगर

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, श्रीगंगानगर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21 / 4 / 2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 278 / आरवेट / श्रीगंगानगर / 2011-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.8.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.7.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण में सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने वर्ष 2007-08 में अपने वैट इन्वॉयस संख्या 2231 दिनांक 8.11.2007 रुपये 7,07,380/- तथा इन्वॉयस संख्या 2237 दिनांक 16.12.2007 रुपये 7,27,774/- की बिक्री मैसर्स राजश्री कॉटन कॉर्पोरेशन श्रीगंगानगर टिन नं० 08523400844 को की है तथा बिक्री के समर्थन में 'सी' फॉर्म RC/98-00199273 प्रस्तुत करते हुए कुल कर योग्य बिक्री रुपये 14,35,154/- पर अन्तर्राज्यीय व्यवहार में घोषित कर 3 प्रतिशत की दर से सी.एस.टी. जमा कराया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल कर निर्धारण दिनांक 25.2.2010 में इसे केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया था। ऑडिट पार्टी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी जांच में पाया कि उक्त बिलों से माल स्थानीय व्यवहारियों को ही विक्रय किया गया है तथा माल का अन्तर्राज्यीय व्यवहार में संचलन (Movement) नहीं हुआ है, इसलिए अधिनियम

लगातार.....2

के तहत विक्रय मानकर 1 प्रतिशत से अतिरिक्त कर रुपये 14,352/- तथा समय पर कर जमा नहीं होने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज रुपये 6171/- आरोपित किया। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि मूल कर निर्धारण आदेश में नियमित कर देरी से जमा पर भी गणना के भूल से धारा 55 के तहत ब्याज रुपये 4752/- कम आरोपित किया गया था, इसलिए अधिनियम की धारा 26 के तहत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त अन्तर कर व ब्याज आरोपित कर कुल रुपये 25,275/- की मांग सृजित की। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर करने पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.8.2012 से अपील अस्वीकार किये जाने के विरुद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी के अधिनियम की धारा 24 के तहत नियमित कर निर्धारण आदेश में रुपये 14,35,154/- की बिक्री के 'सी' फॉर्म से समर्थित होने के कारण अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में स्वीकार की जाकर केन्द्रीय अधिनियम के तहत 3 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया तथा ब्याज भी आरोपित किया। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, जो कि विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि संव्यवहार की प्रकृति को बदलना धारा 26 के क्षेत्र (scope) में नहीं आता है। धारा 26 की ओर ध्यान आकृष्ट कर कथन किया कि इस धारा में यदि व्यवहारी पंजीयन योग्य होने पर भी पंजीकरण नहीं कराता है या किसी कारण से कोई टर्नओवर सम्पूर्ण या भागतः कर निर्धारण से बच गया हो तो ही कर निर्धारण किया जा सकता है। इस धारा के तहत कर निर्धारण में बिजनेस का वह भाग जो पूर्व में कर निर्धारित हो गया हो, शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अविधिक व त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्तनीय है।

अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि व्यवहारी ने विवादित बिलों संख्या 2231 दिनांक 8.11.2007 तथा 2287 दिनांक 16.12.2007 से माल क्रमशः जी.आर. संख्या 15045 व 14217 से श्रीगंगानगर से क्रमशः सरखेज, बावला, अहमदाबाद व धामनी खपोली महाराष्ट्र को प्रेषित किया गया था। माल जब परिवहनरत था, उस समय ही क्रेता के निर्देश पर बिल्टी बेचान केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के तहत मैसर्स राजश्री कॉटन कॉर्पोरेशन श्रीगंगानगर को किया गया है। इस संव्यवहार के

लगातार.....3

समर्थन में अपीलार्थी द्वारा फॉर्म E-I संख्या 0311/37 दिनांक 31.10.2008 को मैसर्स राजश्री कॉटन कॉर्पोरेशन श्रीगंगानगर को जारी किया गया तथा श्री राजश्री कॉटन कॉर्पोरेशन द्वारा 'सी' फॉर्म संख्या RC/98 संख्या 00199273 जारी किया गया है। इन दस्तावेजों के आधार पर पूर्व में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संव्यवहार को अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में स्वीकार किया गया था, इसलिए अब इसे राज्य के भीतर विक्रय नहीं माना जा सकता। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों को इस बिन्दु पर अपास्त किये जाने पर बल दिया।


नियमित कम कर जमा पर ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बल नहीं दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अवर अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि विवादित बिलों में वर्णित माल का राज्य से बाहर अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में परिचलन (Movement) नहीं होने के कारण केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(ए) अनुसार यह संव्यवहार अन्तर्राज्यीय प्रकृति में नहीं आता है। माल का विक्रय श्रीगंगानगर में ही विवादित बिलों से किया गया है, इसलिए अन्तर कर व ब्याज विधिसम्मत रूप से आरोपित किया गया है।

यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने बिल्टी बेचान के द्वारा माल का विक्रय होना बताया है, लेकिन माल का राज्य के बाहर के व्यवहारी को विक्रय करने सम्बन्धी कोई विक्रय बिल जारी नहीं किया गया है। बिल्टी पर माल प्रेषित स्वयं (Self) अंकित किया गया है, ऐसी स्थिति में माल का केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(ए) अनुसार माल के राज्य के बाहर संचलन के अभाव में इसे अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में नहीं माना जा सकता।

इन आधारों पर अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के वर्ष 2007-08 के मूल कर निर्धारण केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2) सपठित अधिनियम की धारा 24 के तहत किया गया था, जिसमें विवादित संव्यवहारों पर भी अन्तर्राज्यीय विक्रय के आधार पर केन्द्रीय अधिनियम के तहत 3 प्रतिशत से करारोपण किया गया था, विक्रय के समर्थन में 'सी' फॉर्म मैसर्स राजश्री कॉटन कॉर्पोरेशन श्रीगंगानगर का ही प्रस्तुत किया गया था। ऑडिट पार्टी द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर कर




लगातार.....4

निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत नोटिस जारी कर कारण पूछा गया कि माल का अन्तर्राज्यीय व्यवहार में मूवमेंट नहीं होने के कारण तथा स्थानीय व्यवहारी को वेट इन्वॉयस जारी होने व उसके द्वारा 'सी' फॉर्म प्रस्तुत किये जाने के कारण विक्रय को अधिनियम के तहत 4 प्रतिशत से कर योग्य होने की स्थिति में 1 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने विवादित बिलों का माल अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में विक्रय होने तथा माल के मूवमेंट में आने के पश्चात बिल्टी बेचान के द्वारा माल मैसर्स राजश्री कॉटन कॉर्पोरेशन श्रीगंगानगर को विक्रय होने के कारण यह संव्यवहार केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के तहत आना बताया है तथा संव्यवहार के समर्थन में विक्रेता अपीलार्थी द्वारा फॉर्म E-I तथा क्रेता द्वारा फॉर्म 'सी' जारी किया गया है। इसलिए यह विक्रय अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में बताते हुए राज्य में कर योग्य नहीं होना बताया है।

संव्यवहार के दस्तावेजों के गहन अवलोकन पर स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में विक्रय का कोई विक्रय बिल जारी नहीं किया है। बिल संख्या 2231 से सम्बन्धित माल के विषय में जारी मैसर्स लक्ष्मी रोड़ केरियर श्रीगंगानगर की बिल्टी संख्या 15045 में क्रेता द्वारा माल दुलाई करने का पता (Address of Delivery at Party instruction में Aar Vee Denim & Exports, Plot No. 217 Mojeshri Mandi, Sarkhej Bavla, Highway N.H.8 Ahmedabad) अंकित है तथा प्रेषक व प्रेषिति स्वयं अपीलार्थी है एवं स्वयं के ही TIN अंकित है। इसी प्रकार वेट इन्वॉयस संख्या 2287 से सम्बन्धित माल के सम्बन्ध में मैसर्स जयदुर्गा ट्रांसपोर्ट कम्पनी श्रीगंगानगर की बिल्टी संख्या 14217 में भी Delivery at - The Rubi Mills Ltd. Dhamni Khapoli अंकित है तथा माल के प्रेषक व प्रेषिति स्वयं अपीलार्थी का नाम मय टिन अंकित है। इन बिल्टियों में माल किसे बेचा गया है, स्पष्ट नहीं है, जबकि बिल मैसर्स राजश्री कॉटन कॉर्पोरेशन श्रीगंगानगर (राजस्थान) को विक्रय करना बताया है। बिल्टियों पर CST No. भी अंकित नहीं है।

कोई भी विक्रय अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित है। प्रावधान उद्धरित करना समीचीन होगा -



लगातार.....5

Sec. 3- A sale or purchase of goods shall be deemed to take place in the course of inter-State trade or commerce if the sale or purchase-

(a) occasions the movement of goods from one State to another;
or


(b) is effected by a transfer of documents of title to the goods during their movement from one State to another.

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक अनुसार माल को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के तहत विक्रय किया गया है। यह सत्य है कि माल का Movement विक्रेता द्वारा किसी Baili को सुपुर्द करते ही प्रारम्भ हो जाता है, लेकिन Movement from one State to another होना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में माल के श्रीगंगानगर (राजस्थान) में रहते हुए ही बिल्टी बेचान विक्रेता अपीलार्थी द्वारा किया गया है। यद्यपि राज्य के बाहर के विक्रेता का कोई नाम पता या TIN भी बिल्टियों पर अंकित नहीं है। राज्य के बाहर के व्यवहारी को विक्रय के अभाव में माल राज्य के व्यवहारी मैसर्स राजश्री कॉटन कॉर्पोरेशन को वेट बिलों से विक्रय करने तथा माल का एक राज्य से दूसरे राज्य को Movement के अभाव में विवादित संव्यवहार केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के अन्तर्गत शुमार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पीठ के सुविचारित मत में प्रश्नगत संव्यवहार स्थानीय होने के कारण इस पर राज्य में प्रचलित दर से कर योग्य होने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश विधिसम्मत पारित किया गया है।

जहां तक अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत कर निर्धारण का प्रश्न है, किसी भी टर्नओवर पर किसी कारण से कम दर से कर निर्धारण हो गया हो तो इस प्रावधान के तहत कर निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क को बलहीन होने के कारण अमान्य किया जाता है।

उक्त विवेचनानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश तथा अपीलीय आदेश की स्थानीय विक्रय पर कर व ब्याज तथा नियमित कर देरी के लिये ब्याज आदि सभी बिन्दुओं पर पुष्टि की जाकर अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे/आर. लोहिया)
सदस्य
२१/५/१५